लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 18 अगस्त – चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना झील के इको-बैलेंस को बनाए रखने के लिए झील में धार्मिक रीति-रिवाजों को निभाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने 19 जनवरी, 2005 को सुखना झील को 'साइलेंस जोन' घोषित किया था। आदेश जिला मैजिस्ट्रेट श्री ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आज जारी किया गया।

प्रतिबंध के दायरे में सरसों के तेल से जलते मिट्टी के दीपकों का बहाव और पटाखों को बजाना शामिल है। इस तरह के रीति-रिवाजों को निभाने से शोर और जल प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही इससे झील के 'साइलेंस जोन' में इको-बैलेंस भी प्रभावित होता है। उक्त आदेश 20 अगस्त, 2010 से लागू होगा और 18 अक्टूबर, 2010 तक प्रभावी रहेगा।